न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—श्री हेमेन्द्र नागर, आरएएस,

प्रकरण संख्याः— 13/2017 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांकः— 01.11.2017

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

——————————प्रार्थी

बनाम

श्री किशोर सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी धमोतर दरवाजा, प्रतापगढ़ (राज.)

————————अप्रार्थी/गैरसायल

:—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975—:

अति जिला कलक्टर प्रतापगढ़(राज)

:—निर्णय—: दिनांकः— 11 जनवरी 2018

1—श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571—1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृति का होकर जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरूद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नही करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध निम्नाकिंत संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना प्रतापगढ़ में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित हैः—

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
41/2017	13 आर.पी.जी.ओ.	03.02.17	24/17	दिनांक 21.02.017 को दोषी करार एवं 100/– रू. जुर्माने से दण्डित
94/2017	13 आर.पी.जी.ओ.	18.03.17	66/17	दिनांक 24.04.2017 को दोषी करार एवं 100/– रू. जुर्माने से दण्डित

2–मामला बाद पंजीबद्व कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । अप्रार्थी/ गैरसायल उपस्थित और जवाब में अपने उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा वर्तमान में उक्त आरोपों के अनुसार कोई कार्य नही करना बताया तथा वर्तमान में पेन्टिंग कार्य करना बताया।

3– गैरसायल ने दौराने बहस बताया कि वह वर्तमान में पेन्टिंग का कार्य कर रहा है एवं पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण दर्ज किये गये वह जबरन पंजीबद्व किये गये है। साथ ही गैरसायल द्वारा बताया गया कि उसके माता पिता व बच्चे उसी पर निर्भर है एवं भविष्य में दुबारा उक्त कृत्यों को नही दोहराया जावेगा। अतः उसके विरूद्व चल रही प्रकरण की कार्यवाही निरस्त कराने निवेदन किया गया।

4–हमने गैरसायल की बहस को ध्यान से सुना और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल के 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है, लेकिन विगत 6 माह की अवधि में कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 गैरसायल के विरूद्व दायर प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है एवं थानाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक से 3 माह तक गैरसायल की गतिविधियो पर नजर रखे। इन 3 माह की अवधि में यदि गैरसायल द्वारा कोई ऐसा कृत्य फिर किया जाता है तो सूचना पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्फत इस न्यायालय को भिजावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़/थानाधिकारी प्रतापगढ़ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

अति जिला कलक्टर प्रतापगढ़(राज.)

(हेमेन्द्र नागर)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)